

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य-
(पत्रांक-75/2025 दिनांक 16.03.2025)
दिनांक-16.03.2025 को जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा किया गया सराहनीय कार्य-

थाना कोतवाली पडरौना पुलिस द्वारा दुष्कर्म आदि के मुकदमे में वांछित एक अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

जनपद कुशीनगर में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 16.03.2025 को थाना कोतवाली पडरौना पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 132/2025 धारा 137(2)/87/64 बीएनएस व ¾ पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त रंजित जायसवाल पुत्र वीरेन्द्र प्रसाद निवासी-ग्राम नया बाजार हथुवा छोटा करौली जिला गोपालगंज (बिहार) को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 132/2025 धारा 137(2)/87/64 बीएनएस व ¾ पाक्सो एक्ट

गिरफ्तार अभियुक्त-

रंजित जायसवाल पुत्र वीरेन्द्र प्रसाद निवासी-ग्राम नया बाजार हथुवा छोटा करौली जिला गोपालगंज (बिहार)

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक रवि कुमार राय थाना को0 पडरौना जनपद कुशीनगर ।



2. म०उ०नि० प्रगति जायसवाल चौकी इन्चार्ज रेलवे थाना को० पडरौना जनपद कुशीनगर ।
3. का० सरवन कुमार थाना को० पडरौना जनपद कुशीनगर ।
4. का० मो० रईश अहमद थाना को० पडरौना जनपद कुशीनगर

05 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार-

दिनांक 15.03.2025 को थाना कुबेरस्थान पर आवेदिका निवासी पिपरा जटामपुर थाना कुबेरस्थान जनपद कुशीनगर द्वारा तहरीर दिया गया कि उनकी 05 वर्षीय बच्ची के साथ दिनांक 14.03.25 को समय 18.30 बजे मिठाई का लालच देकर गांव के ही विनय चौरसिया पुत्र रमेश चौरसिया के द्वारा दुष्कर्म किया गया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कुबेरस्थान पर मु०अ०सं० 68/2025 धारा 65(2) बीएनएस व 5m/6 पाक्सो एक्ट में अभियोग पंजीकृत किया गया एवं अभियुक्त विनय चौरसिया पुत्र रमेश चौरसिया साकिन पिपराजटामपुर थाना कुबेरस्थान जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-

मु०अ०सं० 68/2025 धारा 65(2) बीएनएस व 5m/6 पाक्सो एक्ट थाना कुबेरस्थान जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार अभियुक्त-

विनय चौरसिया पुत्र रमेश चौरसिया सा० पिपराजटामपुर थाना कुबेरस्थान जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. थानाध्यक्ष श्री स्वतंत्र कुमार सिंह थाना कुबेरस्थान जनपद कुशीनगर
2. उ०नि० शोभनाथ थाना कुबेरस्थान जनपद कुशीनगर



3. का0 अविनाश यादव थाना कुबेरस्थान जनपद कुशीनगर
4. अभिलाष यादव थाना कुबेरस्थान जनपद कुशीनगर
5. का0 संदीप कुमार थाना कुबेरस्थान जनपद कुशीनगर
6. का0 संतोष यादव थाना कुबेरस्थान जनपद कुशीनगर

थाना तुर्कपट्टी पुलिस द्वारा अपहरण के मकुदमे में वांछित एक अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

जनपद कुशीनगर में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 16.03.2025 को थाना तुर्कपट्टी पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 65/25 धारा 137(2)/87 बीएनएस में वांछित अभियुक्त अजहर उर्फ जहरूद्दीन पुत्र सराफत पता बड़हरा बुजुर्ग थाना विशुनपुरा जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 65/25 धारा 137(2)/87 बीएनएस

गिरफ्तार अभियुक्त-

अजहर उर्फ जहरूद्दीन पुत्र सराफत पता बड़हरा बुजुर्ग थाना विशुनपुरा जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1-प्र0नि0 संजय कुमार थाना तुर्कपट्टी जनपद कुशीनगर
- 2-उ0नि0 विनायक यादव थाना तुर्कपट्टी जनपद कुशीनगर
- 3-का0 अभिषेक यादव थाना तुर्कपट्टी जनपद कुशीनगर



4-का0 प्रवीण यादव थाना तुर्कपट्टी जनपद कुशीनगर

हिन्दू युवती को भगाकर धर्म परिवर्तन कराने व दुष्कर्म आदि के मुकदमे में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-

दिनांक-11.03.2025 को थाना नेबुआ नौरंगिया पर वादिनी निवासी ग्राम मंशा छपरा (पलक छपरा) थाना नेबुआ नौरंगिया जनपद कुशीनगर द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि उनकी लड़की को गुलजार पुत्र जुल्फिकार ग्राम अकबरपुर थाना मंगलौर जनपद हरिद्वार उत्तराखण्ड बहला फुसला कर भगा ले गया है। पुलिस अधीक्षक कुशीनगर द्वारा घटना का संज्ञान लेते हुए थाना नेबुआ नौरंगिया पर मु0अ0सं0 97/2025 धारा 87 बीएनएस में अभियोग पंजीकृत कराया गया एवं पीड़िता की सकुशल बरामदगी व आरोपी की गिरफ्तारी हेतु अपर पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री रितेश कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी खड्डा श्री उमेश चन्द भट्ट के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया। जिसके क्रम में आज दिनांक 16.03.2025 को थाना नेबुआ नौरंगिया पुलिस टीम द्वारा पीड़िता को सकुशल बरामद कर अभियुक्त गुलजार पुत्र जुल्फिकार ग्राम अकबरपुर थाना मंगलौर जनपद हरिद्वार उत्तराखण्ड को गिरफ्तार किया गया। विवेचना के क्रम में उपरोक्त मुकदमे में धारा 64 बीएनएस व 385(1) उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021 की बढोत्तरी कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 97/2025 धारा 87/64 बीएनएस व 385(1) उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021 थाना नेबुआ नौरंगिया जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार वांछित अभियुक्त-

गुलजार पुत्र जुल्फिकार ग्राम अकबरपुर थाना मंगलौर जनपद हरिद्वार उत्तराखण्ड उम्र लगभग 36 वर्ष



गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-प्रभारी निरीक्षक श्री रामसहाय चौहान थाना ने0नौ0 जनपद कुशीनगर
- 2-उ0नि0 रामेश्वर यादव थाना ने0नौ0 जनपद कुशीनगर
- 3-का0 परमेश यादव थाना नेबुआ नौरंगिया जनपद कुशीनगर
- 4-म0का0 रेखा थाना नेबुआ नौरंगिया जनपद कुशीनगर

शान्ति भंग में की गयी निरोधात्मक कार्यवाही-

जनपद कुशीनगर के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा 43 नफर अभियुक्तों को शान्ति भंग में गिरफ्तार कर धारा 170 बीएनएसएस के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गयी।

कार्यवाही एक नजर में=

- 1- मोटर वाहन अधिनियम में की गयी कार्यवाही-सीज-00, ई-चालान-12 वाहन
- 2- 126/135 बीएनएसएस में की गयी कार्यवाही-मु0-14, व्यक्ति-52
- 3- वांछित/वारंटी/अन्य अपराधों में अभियुक्तों की गिरफ्तारी-(04)
- 4- जनपद में कुल गिरफ्तारी-(कुल-47)

सोशल मीडिया सेल

जनपद कुशीनगर

